राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर– 302015
(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141– 2742309, ई–मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

कमांकः– एफ. 3 (ख)( ) अलेसे–।।/ 4458–73 दिनांकः–29 मई 2014

आदेश संख्या 14 /2013–14

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लेखाकार (संयुक्त प्रतियोगी) सीधी भर्ती परीक्षा, 2011 में सफल घोषित किये जाने एवं आयोग की अनुशंषानुसार चयनित सूची में से निम्नांकित अभ्यर्थियों के पुलिस वेरीफिकेशन कार्यवाही पूर्ण होने एवं आवश्यक प्रमाण–पत्र विभाग में उपलब्ध कराने के उपरान्त एतद्द्वारा राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 6 के अनुसार परिवीक्षाधीन लेखाकार के रूप में उपस्थिति देने की तिथि से दो वर्ष की कालावधि के लिए रूपये 13050/– (तेरह हजार पचास रूपये मात्र) प्रति माह के स्थाई पारिश्रमिक पर अथवा जो अभ्यर्थी पूर्व से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है, उनके संदर्भ में वित्त विभाग की अधिसूचना कमांक प.1(2) वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.06 के अनुसार देय वेतन भत्तों पर उपस्थिति देने की संगत तिथि से एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है तथा आदेश दिये जाते है कि वे उनके नाम के सामने अंकित विभाग/कार्यालय में दिनांक 13 जून 2014 तक कार्यालय समय में उपस्थित होकर कार्यारम्भ रिपोर्ट सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेगें अन्यथा उक्त तिथि के बाद उनके नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझे जावेगें ।

क. स.	मेरिट कमांक	रोल नम्बर	नाम/पिता का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	जन्म तिथि	गृह जिला	श्रेणी	विभाग/ कार्यालय का नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	59/11	302903	श्री सुमेर सिह भाटी पुत्र श्री उम्मेद सिंह भाटी बरसालपुर हाउस, गायत्री मन्दिर के पास, पुरानी गिनानी, बीकानेर – 334001	12.08.1990	बीकानेर	GE	जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालोतरा जिला बाडमेर	रिक्त पद पर
2.	290/11	710540	अनिल कुमार/मोहन लाल, मकान न.1/173 राजस्थान आवासन मण्डल, चूरू रोड झुन्झुनू–333001	08.03.1970	झुन्झुनू	OBC	जिला रसद अधिकारी जिला जैसलमेर	रिक्त पद पर
3.	386/11	400542	अशोक कुमार पुत्र श्री वालाराम, मु.पो. लूणोल तहसील रेवदर जिला सिरोही– 307514	09.11.1988	सिरोही	SC	खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान जिला सिरोही	रिक्त पद पर

उपरोक्त अभ्यार्थियों की लेखाकार पद पर नियुक्ति निम्नांकित शर्तो पर की जा रही हैः–

1. उपरोक्त अभ्यर्थियों की जन्म तिथि इनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र में अंकित एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा स्वीकृत जन्म तिथि के अनुसार तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण–पत्र के के आधार पर अंकित की गई है।
2. यह नियुक्ति संबंधित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों में अधिकथित निबन्धनों एवं शर्तो के अध्यधीन होगी।
3. यह नियुक्ति उप महानिरीक्षक, सी.आई.डी (सुरक्षा) जयपुर से अभ्यर्थी के चरित्र के संबध में संतोषजनक प्रमाण पत्र की शर्त पर है।
4. अभ्यर्थी को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियमों के अनुसार भविष्य में अनिवार्य प्रशिक्षण पर उपस्थिति देते समय दस रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक अनुबन्ध पत्र/बॉण्ड जो नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित हो देना होगा।
5. अभ्यर्थी को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार निर्धारित स्वास्थ्य परीक्षा प्रमाण पत्र जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा उससे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने चाहिये किन्तु महिलाओं के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी, किसी महिला चिकित्सक का स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उपस्थिति स्वीकार्य नहीं होगी।
6. इन अभ्यर्थियों को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा की अवधि स्वविवेकानुसार बढाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो बार से अधिक अनुतीर्ण होने पर इन्हें राज्य सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
7. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षाणार्थी की परिवीक्षा की कालावधि के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते (विशेष भत्ता, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, बोनस आदि) देय नहीं होगें।
8. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षार्थी को कार्यग्रहण काल एवं यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
9. यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा अवधि में सन्तोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष लेखाकार होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
10. उक्त नियुक्तियॉं माननीय न्यायालयों में विचाराधीन विभिन्न प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन होगी।
11. समस्त अभ्यर्थी अपने पदस्थापन स्थान पर कार्यारम्भ करने से पूर्व राज्य सेवा में रहते हुए धूम्रपान एवं गुटखा सेवन न करने सम्बन्धी वचन पत्र आवश्यक रूप से अपने कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत करें।

12. सभी अभ्यर्थी राजस्थान दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2004 के नियम 6 के तहत अपने पदस्थापन स्थान पर कार्यारम्भ करने से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष को घोषणा प्रस्तुत करेगा कि उसने कोई दहेज नहीं लिया है। घोषणा पत्नी, पिता और ससुर द्वारा हस्ताक्षरित होगी।

यदि कोई अभ्यर्थी प्रशिक्षण अवधि में या प्रशिक्षण समाप्ति के दो वर्ष की अवधि में राजस्थान राज्य अधीनस्थ लेखा सेवा से त्याग पत्र देना चाहेगा अथवा अन्यत्र पदग्रहण करना चाहेगा तो ऐसा करने से पूर्व प्रशिक्षण अवधि में उनके द्वारा प्राप्त वेतन एवं भत्ते एवं प्रशिक्षण पर हुये व्यय की दोगुना राशि का भुगतान उसे एक मुश्त राजकोष में जमा कराना होगा।

इस विभाग से पत्र व्यवहार करते समय अभ्यर्थी अपने मेरिट कमांक एवं बैच वर्ष का उल्लेख अवश्य करें अन्यथा उनके पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

(वीरबाला जोशी)
निदेशक,
कोष एवं लेखा विभाग

कमांकः– एफ. 3 (ख)( ) अलेसे–।।/ 4458–73 दिनांकः 29 मई 2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष .... को प्रेषित कर लेख है कि सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा उनके कार्यालय में उपस्थिति देते समय राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार निर्धारित स्वास्थ्य परीक्षा प्रमाण पत्र जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा उससे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही उपस्थिति स्वीकार की जावे तथा कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करावें। साथ ही अभ्यर्थी को कार्यारम्भ कराने से पूर्व राजकीय सेवा में रहते हुए धूमपान एवं गुटखा सेवन न करने एवं विवाह के अवसर पर कोई दहेज नहीं लेने सम्बन्धी वचन पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त करें।
4. श्री.. को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे निर्धारित तिथि को उनके नाम के सामने कालम सख्या 8 में अंकित स्थान पर दिनांक 13 जून 2014 तक कार्यालय समय में आवश्यक रूप से उपस्थित होकर कार्यग्रहण कर कार्यारम्भ रिपोर्ट सम्बन्धित विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
5. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने तथा पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
6. निजी सहायक, निदेशक महोदया।
7. गोपनीय शाखा।
8. रक्षित / निजी पत्रावली।

(डॉ0 अरविन्द कुमार मिश्रा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–1)